भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4718
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि संवितरण में विलंब

†4718. श्री राधाकृष्णः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्यों को जारी और लंबित कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त मिशन के अंतर्गत निधि संवितरण में कोई विलंब हुआ है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। शुभारंभ के समय, सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को भी मंजूरी दी। स्वीकृत किए गए केंद्रीय परिव्यय का लगभग पूरा उपयोग किया जा चुका है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को वर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

जेजेएम के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधि साझाकरण पैटर्न, एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम होने के नाते, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और शेष राज्यों के लिए 50:50 है। इसके अलावा, सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमएस) कार्यकलापों के तहत वित्तपोषण पैटर्न संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता अनुदान को दो समान किस्तों में जारी करने का भी प्रावधान किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक किस्त दो अंशों में जारी की जाती है। इस प्रकार, निधियों को जारी करने की योजना 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुरूप बनाई जाती है ताकि राज्य में निधियों की किसी अनुचित जमा (पार्किंग) से बचा जा सके।

जेजेएम के अंतर्गत निधि आबंटन, आहरित निधि और संसूचित उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसे जेजेएम-आईएमआईएस के जरिए निम्न लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

*****